अध्याय-III
राज्य उत्पाद

अध्याय–III : राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दूकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार[1] प्रमंडलीय मुख्यालयों में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्त्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दूकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराबों की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य उत्पाद राजस्व से संबंधित 50 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 39 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 82.00 करोड़ से सन्निहित 274 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका–3.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दूकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	47	37.44
2.	सरकारी राजस्व का गबन	1	7.69
3.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	15	5.98
4.	न्यूनतम गांरटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	19	0.98
5.	अन्य मामलें	192	29.91
कुल		**274**	**82.00**

वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग ने 40 मामलों में सन्निहित ₹ 3.87 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 1.12 लाख से सन्निहित एक मामला वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने नौ मामलों में ₹ 5.67 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान इंगित किए गए थे।

---

[1] भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.3 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 3.4 से 3.8 में वर्णित है। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों को रोका जा सके।

3.4 शराब के उत्पाद अनुज्ञप्तियों का आवंटन

3.4.1 परिचय

किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में देशी/मशालेदार देशी शराब के निर्माण तथा/या आपूर्ति का विशेषाधिकार राज्य सरकार प्रदत्त कर सकती है। निर्माताओं को शराब की आपूर्ति बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड को करना है। बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड एकमात्र थोक बिक्री डिपो है, जो राज्य के उत्पाद दुकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराबों की आपूर्ति करता है।

देशी शराब के निर्माण एवं थोक आपूर्ति की अनुज्ञप्ति के आवंटन के जाँच के उद्देश्य से आयुक्त उत्पाद, बिहार के कार्यालय के वर्ष 2012–14 की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच अप्रैल और जुलाई 2014 के बीच की गई। इसके अलावा, आठ उत्पाद जिलों[2] में खुदरा अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती से सम्बंधित संचिकाओं की नमूना जाँच की गई। सात जिला उत्पाद कार्यालयों का चयन प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन पर आधारित था तथा एक उत्पाद जिला, पटना अधिकतम बंदोवस्त उत्पाद दुकानों की संख्या के आधार पर चयनित की गयी थी।

अप्रैल 2014 से मार्च 2019 की अवधि के लिए पोलीथीन टेरेफ्यलेट (पेट) बोतल में देशी शराब की आपूर्ति के ठेके की निविदा संचिकाओं तथा अन्य सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई तथा यह पाया कि ठेके के अन्तर्गत आपूर्ति अबतक शूरू नहीं हुई है, क्योंकि निविदादाताओं द्वारा पेट बौटलिंग प्लांट का स्थापना नहीं किया गया है। इस बीच, देशी शराब की आपूर्ति के लिए अल्प अवधि का ठेका प्रदान किया गया और इन ठेकों के अन्तर्गत पेट बोतलों के स्थान पर सैशे में आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, चयनित जिला उत्पाद कार्यालयों में बंदोवस्ती संचिका/पंजी, माँग, वसूली एवं शेष पंजी, जमानत पंजी, पारक पंजी इत्यादि की भी जाँच की गई। जाँच के क्रम में पाये गए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

लेखापरीक्षा परिणामों को जुलाई 2014 में सरकार को उनकी प्रतिक्रिया हेतु अग्रसारित किया गया था। अगस्त 2014 में सरकार के सचिव के साथ लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विचार–विमर्श एवं सरकार का मंतव्य प्राप्त करने हेतु एक एक्जिट कन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सरकार/विभाग के उत्तर को सम्बंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है। लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाऐं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में विभाग के सहयोग को हम स्वीकार करते हैं।

---

[2] पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कटिहार, किशनगंज, पटना, पूर्णियाँ, सारण, सुपौल एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.4.2 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पेट बोतल में देशी शराब के निर्माण एवं थोक आपूर्ति हेतु ठेका

विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पेट बोतल में देशी शराब के निर्माण तथा थोक आपूर्ति बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को करने के लिए 31 जनवरी 2014 को निविदा आमंत्रित की गई।

3.4.2.1 शराब की आपूर्ति हेतु न्यूनतम दर को नहीं अपनाये जाने के कारण वर्ष 2014–19 के दौरान ₹ 341.32 करोड़ के राजस्व की हानि

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 131 आर (xiv) प्रावधित करता है कि साधारणतः न्यूनतम मूल्यांकित निविदाकर्त्ता (एल–1) को ठेका प्रदत्त किया जाना चाहिए। लेकिन यदि न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्त्ता आवश्यक पूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो तो जहाँ तक सम्भव हो, शेष मात्रा की आपूर्ति हेतु अगले उच्चतर निविदाकर्त्ता को न्यूनतम उत्तरदायी निविदाकर्त्ता के दर पर आदेश दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) का निर्देश (मार्च 1999) स्पष्ट करता है कि कई बार आदेशित मात्रा की आपूर्ति अकेले एल–1 की क्षमता से बहुत अधिक होता है। ऐसे मामलों में, आदेशित मात्रा को इस प्रकार वितरित किया जा सकता है कि क्रय साफ, पारदर्शी तथा उचित तरीके से हो सके।

हमने पेट बोतलों में देशी शराब के आपूर्ति के निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों की संवीक्षा की तथा पाया कि निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त संख्या 2(ix) प्रावधित करता था कि सम्पूर्ण राज्य को 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों में विभाजित किया जाये। पुनः, निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त संख्या 3 के अनुसार न्यूनतम निविदाकर्त्ता (एल–1) को उसके सर्वोच्च प्राथमिकता का एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाएगा तथा इसके बाद बाकी निविदादाताओं को उनके निविदित दर के आधार पर उनके प्राथमिकता का एक आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किया जाएगा और यह प्रक्रिया तबतक जारी रहेगी जबतक सभी आपूर्ति प्रक्षेत्रों का आवंटन न हो जाए। शर्त्त संख्या 3 पुनः प्रावधित करता था कि प्रत्येक निविदादाता को बेस रेट (₹ 5.78 तथा ₹ 9.76 क्रमशः 200 मि0ली0 तथा 400 मि0ली0 पैक साइज के लिए) तथा निविदित दर का अन्तर राशि जमा करना था। बेस रेट तथा निविदित दर के अन्तर राशि जमा करने के प्रावधान का अर्थ था कि विभिन्न प्रक्षेत्रों में देशी शराब की आपूर्ति विभिन्न दरों पर करने की अनुमति दी जाएगी।

सतरह विभिन्न निविदादाताओं को अलग–अलग दर पर 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों के आवंटन का प्रावधान बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 तथा सी.वी.सी के निर्देश के प्रतिकूल था, क्योंकि (i) अगले उच्चत्तर दर पर सहमत निविदादाता को आपूर्ति देने के पहले एल–1 की क्षमता को समाप्त नहीं किया गया था, (ii) ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अन्य आपूर्तिकर्त्ता को एल–1 द्वारा निविदित दर पर शराब की आपूर्ति करनी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005–08, 2009–12 तथा 2012–14 की अवधि के पिछले निविदाओं में अपनाए गए स्थापित प्रक्रिया से यह विचलन था, जिसमें विभाग ने पूरे राज्य में शराब की आपूर्ति का समान दर निर्धारित किया था।

विभाग ने 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों में विभिन्न दरों पर शराब की आपूर्ति के लिए 17 निविदादाताओं का चयन किया (फरवरी 2014) तथा निविदादाताओं को अन्तर राशि जमा करनी थी। इस प्रकार, एल–1 के दर के बदले निविदित दर के आधार पर अन्तर राशि के भुगतान की अनुमति के कारण, विभाग वर्ष 2014–15 से 2018–19 के बीच ₹ 341.32 करोड़ (₹ 68.26 करोड़ प्रति वर्ष) से वंचित रहेगा, जिसकी गणना वर्ष

2013–14 के लिए देशी शराब के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर की गई है जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में विवर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि यह एक नीतिगत निर्णय था तथा मंत्रीपरिषद् द्वारा अनुमोदित था। विभाग ने पुनः बताया कि संविधान द्वारा नीति निर्धारण का कार्य सरकार में निहित है।

एक्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान सरकार द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि निविदा प्रक्रिया में बेस रेट का सोच पहली बार लाया गया था। इसलिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया कि आपूर्ति श्रृंखला के बाधाओं तथा शराब व्यापारियों के कार्टेल को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण राज्य को 17 विभिन्न प्रक्षेत्रों में बाँटा जाये। पुनः ठेका प्रदत्त करने के निर्णय लेने में प्रक्षेत्र का चुनाव केन्द्र बिन्दु बन गया। निविदा आमंत्रण सूचना में यह उल्लेखित है कि एल–1 से एल–17, जो भी प्रस्ताव हो, को शुरू में न्यूनतम निविदित दर के आधार पर इनके रूचि के प्रक्षेत्र के चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम प्रक्षेत्र का आवंटन न हो जाए। अतः, किसी क्षेत्र के विभिन्न न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/मानव संसाधनों की उपलब्धता/क्षेत्र का पहुँच/तथा क्षेत्र के अन्य विशेष स्थानीय घटक के आलोक में निविदा आमंत्रण सूचना में एल–1 को आधार नहीं माना गया था। इसलिए, चयन की स्वतंत्रता मुख्य आधार रहा और अंततः एक निविदादाता को केवल एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाना था। यदि एल–1 को आधार बनाया गया होता तो वह सभी 17 प्रक्षेत्रों को हासिल करने का दावा करता, यदि एक निविदादाता को केवल एक प्रक्षेत्र आवंटित करने का आन्तरिक प्रतिबंध नहीं होता।

सरकार का उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि मंत्रीपरिषद् को समर्पित ज्ञापन में बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 131 आर (xiv) को शिथिल करने के कारणों का उल्लेख नहीं था। पुनः, बिहार सरकार का कार्यपालिका नियमावली की नियम 18 (1) यह उपबंधित करता है कि मामले के मुख्य तथ्यों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है और निर्णय लेने हेतु पक्ष एवं विपक्ष के मुख्य दलीलों को व्यक्त करते हुए मंत्रीपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यह नहीं किया गया क्योंकि एल–1 के दर से अधिक दर पर निविदादाताओं को आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किये जाने के प्रावधान के फलस्वरूप सरकार को होने वाले हानि को ज्ञापन में नहीं रखा गया था। इसके कारण अब वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में ₹ 341.32 करोड़ की हानि होगी।

पुनः, एल–1 द्वारा सभी 17 प्रक्षेत्रों को हड़पने की आशंका भी सही नहीं है क्योंकि पिछले निविदा में स्वयं सरकार ने 17 विभिन्न निविदादाताओं द्वारा 17 विभिन्न आपूर्ति प्रक्षेत्रों में शराब की आपूर्ति के लिए न्यूनत्तम निविदादाता (एल–1) की दर को अनुमोदित किया था, किन्तु, इस मामले में सरकार/विभाग ने 17 सफल निविदादाताओं को उन्हें आवंटित प्रक्षेत्रों में शराब की आपूर्ति उनके द्वारा निविदित दर पर करने की अनुमति दी न कि न्यूनत्तम निवेदित दर (एल–1) पर।

यद्यपि तथ्य यह है कि विभाग के कार्टेलाइजेशन को तोड़ने का कथित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि तीन सफल निविदादाताओं द्वारा 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 3.91 निविदित किया गया था तथा तीन अन्य निविदादाताओं द्वारा 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 4.66 निविदित किया गया था। इसके अलावा ठेके का क्रियान्वयन होना बाकी है क्योंकि पेट बौटलिंग प्लांट की स्थापना में विलम्ब के कारण निविदादाता पेट बोतल में आपूर्ति की स्थिति में नही है और परिणामस्वरूप, देशी शराब की आपूर्ति सैशे में होना जारी है जिसे खत्म करने का उद्देश्य था, क्योंकि इससे अवैध शराब की आपूर्ति हो सकती थी। निविदा प्रदान करने

की इस प्रक्रिया को अपनाये जाने के कारण वर्ष 2014–19 के दौरान दावा किये गये लाभ प्रदान किये बिना ₹ 341.32 करोड़ तक के राजस्व की क्षति होगी।

3.4.2.2 पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं होना

विभागीय संकल्प (अक्टूबर 2013) के अनुसार देशी शराब के निर्माण तथा बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को पेट बोतलों में थोक आपूर्ति 1 अप्रैल 2014 से शूरू होना था तथा इसके पूर्व निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जानी थी।

निविदा संचिका तथा अन्य अभिलेखों की जाँच के क्रम में हमने पाया कि पेट बोतल में शराब की आपूर्ति अबतक शुरू (जुलाई 2014) नहीं हुई है, जबकि इसे 1 अप्रैल 2014 से प्रारम्भ होना था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पेट बोतल का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया है और इसके लिए अनेक मशीनो तथा भवन के निर्माण की आवश्यकता है और इसके आरम्भ होने में समय लगेगा।

विभाग का उत्तर तथ्य के अनुरूप नहीं है कि विगत दो निविदाओं (वर्ष 2009–12 तथा 2012–14) की निविदा प्रक्रिया पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति के नीति निर्णय के आधार पर अत्यधिक विलंबित हुई थी तथा विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों को सैशे में शराब की आपूर्ति के लिए अवधि विस्तार दिया गया था। यद्यपि विभाग इस बात से अवगत था कि पेट बोतलों का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया है तथा इसमें काफी समय लगेगा, विभाग द्वारा पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया ससमय आरम्भ नहीं की गई। इस प्रकार, पेट बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति के ठेके के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण विभाग विगत छः वर्षो से अधिकृत श्रोतों से बेहतर गुणवत्ता वाले शराब की आपूर्ति की बढ़ोतरी के उद्धेश्य को पूरा नहीं कर सका।

3.4.2.3 आपूर्ति प्रक्षेत्रों के आवंटन में अपारदर्शिता

निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त 3 (vi) (ii) के अनुसार न्यूनतम दर समर्पित करने वाले निविदादाताओं के प्राथमिकताओं के आधार पर प्रक्षेत्रों का आवंटन किया जाना था। प्रथम चरण मे तकनीकी निविदा में सफल प्रत्येक 17 निविदादाताओं को एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाना था।

हमने निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों की समीक्षा की और पाया कि समान वित्तीय निविदा की स्थिति में इसके निष्पादन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं था। इस प्रकार, तीन निविदादाता, जिन्होंने 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 3.91 तथा तीन अन्य निविदादाताओं, जिन्होंने 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 4.66 निविदित किया था, को प्रक्षेत्रों का आवंटन तदर्थ तथा अपारदर्शी तरीके से किया गया था।

यद्यपि समान परिस्थिति दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 के अवधि के लिए हुए पूर्व निविदा में उत्पन्न हुआ था तथापि समान निविदा की स्थिति में आवंटन हेतु प्रक्रिया बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि समान दरों वाले निविदादाताओं के बीच प्रक्षेत्रों का आवंटन विहित तरीके से किया गया है। यद्यपि समान निविदाओं के मामलों में प्रक्षेत्रों के आवंटन के लिए अपनाए गए मानदण्ड विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

3.4.3 अवमानक शराब की आपूर्ति

अनुज्ञप्ति (प्रपत्र 27) के शर्तों के अनुसार, बिक्री की गई शराब अच्छी गुणवत्ता और आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। गोदाम में बिक्री के लिए रखे शराब का आवधिक विश्लेषण होना चाहिए तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसका सुधार करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।

- रसायन परीक्षक, पटना कार्यालय के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि से सम्बंधित सैम्पल जाँच प्रतिवेदन की हमने संवीक्षा की तथा पाया कि रासायनिक जाँच किये गए देशी शराब के 1,940 नमूनों में से 224 नमूने मानक के अनुरूप नहीं थे तथा तीन जिलों[3] में 89 नमूनों में से 24 नमूनों में सेडिमेंट पाए गए। सेडिमेंट युक्त नमूनों वाले थोक से खुदरा दुकानों में निर्गत होने सम्बंधी जाँच के उद्देश्य से हमने दो उत्पाद जिलों[4] के अभिलेखों की जाँच की तथा पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि में उन थोकों से सम्बंधित 3.39 लाख एल.पी.एल. देशी शराब बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को खुदरा व्यापारियों को बिक्री हेतु निर्गत किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि अवमानक शराब विनिष्ट किए जा चुके हैं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। यह उत्तर सम्बंधित अधीक्षक उत्पाद के उत्तर के प्रतिकूल था जिन्होंने यह कहा था (जुलाई 2014) कि सैम्पल जाँच प्रतिवेदनों के विलम्ब से/नहीं मिलने के कारण ससमय कार्रवाई नहीं की जा सकी।

- हमने पुनः पाया कि दिसम्बर 2012 में निर्मित 400 मि0ली0 पैक साइज के देशी शराब के 17,600 सैशे अवमानक थे तथा लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2014) तक बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, किशनगंज के गोदाम में विनष्टीकरण के लिए पड़े हुए थे।

इसे इंगित किए जाने पर अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज ने कहा (जुलाई 2014) कि 17,600 सैशे के विनष्टीकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय को पत्र लिखा (अप्रैल तथा नवम्बर 2013) गया था।

एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार ने पुनः बताया (अगस्त 2014) कि आठ नए प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देशित किया जाएगा कि डिपो में रैन्डम आधार पर शराब के जाँच की प्रक्रिया शुरू की जाए।

3.4.4 खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती

जून 2007 तक खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्तियों की वार्षिक बंदोवस्ती लोक नीलामी के आधार पर की जाती थी तथा इसके बाद बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजीट शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती) नियमावली, 2007 (1 जुलाई 2007 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जानी थी।

उपरोक्त नियमावली के नियम 7 के अनुसार बंदोवस्ती प्रारम्भ होने के निर्धारित तिथि से साधारणतः 15 दिनों पूर्व राजस्व पर्षद् के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त उत्पाद प्रपत्र–127 मे एक बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, जिसमें बंदोवस्ती के साधारण शर्तों का उल्लेख होगा।

---

[3] बेगूसराय, किशनगंज और सुपौल।

[4] किशनगंज और सुपौल।

3.4.4.1 उत्पाद दुकानों के लिए शराब की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा का अनुचित निर्धारण

बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली का नियम 5 प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी प्रत्येक दुकान अर्थात् देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर एवं मदिरा सहित कम्पोजिट शराब की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा निर्धारित करने में सक्षम होंगे, परन्तु एक जिला के सभी दुकानों का ऐसी न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा उस जिला के लिए उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से कम नहीं होगा। उत्पाद आयुक्त सभी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उत्पाद आयुक्त के दिशानिर्देश का अनुसरण करने के लिए बाध्य होंगे।

पुनः, उपरोक्त नियमावली का नियम 20 (ii) उपबंधित करता है कि निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से 15 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उठाव के लिए अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा, परन्तु 15 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त उठाव के लिए अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से देय होगा।

नौ जिला उत्पाद कार्यालयों[5] से संबंधित बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े एवं परमिट पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने अक्टूबर 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच पाया कि 922 में से 92 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान भारत निर्मित विदेशी शराब/देशी/मसालेदार देशी शराब/बियर का उठाव अपने निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से अधिक किया था, जैसाकि **परिशिष्ट–XVI** में वर्णित है।

यह इंगित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उत्पाद दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा का निर्धारण वास्तविक उठाव के आलोक में नहीं किया, यद्यपि उपरोक्त अवधि में आँकड़े, अतिरिक्त उठाव की प्रवृति दर्शाते थे। उत्पाद आयुक्त ने भी अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों को उनके जिलों के उत्पाद दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। इस प्रकार, ऐसे दिशानिर्देश के अभाव में एवं बिना उनके क्षमता पर विचार किये उत्पाद दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के निर्धारण के कारण न केवल अनुज्ञप्तिधारियों को न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के 15 प्रतिशत की छूट एवं उन्हें निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के अतिरिक्त उठाव के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क के भुगतान के छूट द्वारा वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया बल्कि वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार ₹ 3.04 करोड़ के राजस्व से भी वंचित रहा, जैसाकि **परिशिष्ट - XVI** में वर्णित हैं।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2014) एवं मामले की जाँच करने पर सहमत हुए।

3.4.4.2 संपन्नता शर्त्त का प्रावधान नहीं किया जाना

हमने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित सभी नमूना जाँचित जिला उत्पाद कार्यालयों की बंदोबस्ती पंजी/संचिका, लॉटरी पंजी एवं आवेदन संचिका की संवीक्षा की एवं पाया (मई एवं जुलाई 2014 के बीच) कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की बिक्री अधिसूचना में अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्पन्नता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण का शर्त शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के नियम 9 के

[5] पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), किशनगंज, एवं सुपौल (चयनित जिले), औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, कैमूर (भभूआ), मधुबनी, एवं नालन्दा (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

अंतर्गत वांछित था। परिणाास्वरूप, किसी भी अनुज्ञाधारियों ने उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती से पूर्व उपरोक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पूर्वी चम्पारण में हमने पाया (जून 2014) कि उत्पाद दुकानों के आठ समूहों के प्रथम लॉटरी विजेता, दुकानों की बंदोबस्ती के लिए उपस्थित नहीं हुए। पुनः सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, पटना में हमने पाया (सितम्बर 2013) कि उत्पाद दुकानों के 26 समूहों की बंदोबस्ती प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किए जाने के आधार पर मई 2012 एवं जुलाई 2013 के दौरान रद्द किया गया था। उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप चूककर्त्ता अनुज्ञाधारियों के विरूद्व ₹ 4.17 करोड़ के प्रतिभूति राशि एवं अनुज्ञा शुल्क बकाया रह गया, जो **परिशिष्ट - XVII** में वर्णित है। पुनः हमने पाया कि ₹ 1.15 करोड़ की माँग सिर्फ 15 चूककर्त्ता अनुज्ञाधारियों के विरूद्व सृजित किया गया था। इस प्रकार उत्पाद दुकानों की लॉटरी के लिए आवेदकों हेतु सम्पन्ता निश्चित करने का तंत्र के अभाव के कारण, अरूचिकर आवेदकों ने लॉटरी प्रक्रिया में भाग लिया, जो उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के पश्चात् उपस्थित नहीं हुए।

इसे इंगित किए जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं मामले की जाँच करने के लिए सहमत हुए।

3.4.4.3 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के बदले अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति राशि का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 (क) प्रावधित करता है कि उत्पाद दुकान के बंदोबस्तदार[6], बंदोबस्ती के पश्चात् तुरंत वार्षिक अनुज्ञा शुल्क के बारहवें भाग के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करेगा।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण की बंदोवस्ती संचिका/पंजी एवं प्रतिभूति जमा पंजी की हमने संवीक्षा की एवं पाया कि उत्पाद दुकानों के 82 समूहों के मामले में प्रतिभूति जमा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों के बदले अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा अग्रेतर विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उपरोक्त 82 उत्पाद दुकानों के समूह में से 33 समूहों के लिए प्रतिभूति जमा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों के लिए तीन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बिक्री अधिसूचना के शर्त के प्रतिकूल था।

इसे इंगित किए जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान लेखापरीक्षा दावा को स्वीकार किया एवं मामले की जाँच करने के लिए सहमत हुए।

3.5 उत्पाद राजस्व के गबन के मामले

उत्पाद दुकानों के लिए वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20वें दिन तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दुकान अगले आवेदक को बन्दोबस्त कर दी जाएगी।

[6] बन्दोवस्तदार वह व्यक्ति है जिसके साथ लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकान की बन्दोवस्ती की जाती है।

बिहार वित्तीय नियमावली, भाग–I के नियम 37 के साथ पठित नियम 7 के अनुसार यह विभागीय प्राधिकारी की जिम्मेवारी है कि वे देखें कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से तथा शीघ्र निर्धारित किये गये हैं, वसूले गये हैं तथा बिना किसी विलम्ब के उचित शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी लेखे में जमा किये गये हैं।

बिहार उत्पाद कानून, भाग–II के अध्याय XIV (परिशिष्ट–I) की कंडिका 485 की उपकंडिका 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पाद कार्यालय प्रपत्र–106 में एक चालान पंजी संधारित करेगा तथा उत्पाद भुगतानों हेतु प्रस्तुत प्रत्येक चालान को, इसमें की गई प्रविष्टि की सत्यता से संतुष्ट होने के पश्चात् पंजी में दर्ज करेगा। पंजी को कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु प्रत्येक दिन के अंत में कोषागार भेजा जाएगा। अन्य पंजियों में की गई भुगतानों की प्रविष्टियाँ भुगतानों के चालान की प्रस्तुति पर चालान पंजी में की गयी प्रविष्टियों से यथोचित तुलना एवं विसंगतियों का समाधान करने के पश्चात् होना चाहिए।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 45 के अनुसार उत्पाद विभाग में कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि सरकारी राजस्व की हानि नहीं हो रही है। यदि चालान सभी तरह से सही हो, तो विभागीय पदाधिकारी बैंक को राशि प्राप्त करने तथा रसीद स्वीकृत करने के लिहाज से एक आदेश के साथ मुखांकित करेगें।

3.5.1 फरवरी एवं जुलाई 2014 के बीच जिला उत्पाद कार्यालय, मुंगेर के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2014 की अवधि में 16 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा ₹ 7.77 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क शीर्ष '0039–राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया। इस प्रकार जाली एवं फर्जी भुगतान के विरूद्ध परमिट जारी किया गया था। जैसाकि चालान पंजी संधारित नहीं किया गया था, जिला उत्पाद पदाधिकारी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत चालान की वास्तविकता को कोषागार अभिलेखों से सत्यापित नहीं कर सके।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है। बिहार उत्पाद नियमावली को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई को मामले की जाँच करने का अनुरोध किया गया है और जिन लिपिकों ने चालानों के सत्यापन के बिना पारक निर्गत किये थे, वे न्यायिक हिरासत में हैं। समाहर्त्ता, मुगेंर द्वारा 2012 से पूर्व के चालानों का सत्यापन कराया जा रहा है।

3.5.2 सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना के वर्ष 2008–09 से 2009–10 की अवधि के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013) कि माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी में अक्टूबर 2008 एवं फरवरी 2010 की अवधि के दौरान छः अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दर्शाया गया ₹ 35.99 लाख के अनुज्ञा शुल्क की राशि कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना ने कहा (मई 2014) कि उक्त राशि सरकारी कोषाकार में जमा नहीं हुआ प्रतीत होता है तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह पाया गया कि चूककर्त्ता अनुज्ञाप्तिधारियों के विरूद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नीलामवाद दायर किया गया था।

3.5.3 मार्च 2013 में जिला उत्पाद कार्यालय, बाँका के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2009 एवं फरवरी 2011 की अवधि में दो अनुज्ञप्तिधारियों[7] द्वारा जमा ₹ 2.13 लाख का अनुज्ञा शुल्क शीर्ष '0039–राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा ने भी प्रमाणित किया (3 जुलाई 2013) कि उक्त राशि बैंक में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार जाली एवं फर्जी भुगतान के विरूद्ध परमिट जारी किया गया था। जैसाकि, कार्यालय में चालान पंजी उचित रूप से संधारित नहीं किया गया था, जिला उत्पाद पदाधिकारी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत चालान की वास्तविकता को कोषागार अभिलेखों से सत्यापित नहीं कर सके।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (15 मार्च 2013) पर, अधीक्षक उत्पाद बांका ने कहा (18 मार्च 2013) कि लेखापरीक्षा के आलोक में एक अनुज्ञप्तिधारी[8] से सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी है तथा कोषागार में जमा (18 मार्च 2013) कर दिया गया है तथा दूसरे मामले में जाँचोपरांत प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा।

एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार ने कहा (अगस्त 2014) कि ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जा रही है तथा सभी जिला उत्पाद कार्यालयों को इन मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्देश निर्गत किया गया है।

समान मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2011–12 एवं 2012–13 की कंडिका 3.2.3 एवं 3.8 में क्रमशः इंगित किए गए थे। कंडिका 3.2.3 के उत्तर में सरकार ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में राशि की वसूली की जा चुकी थी, पटना में चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की पहल की जा चुकी थी। चूक की प्रकृति अभी भी जारी थी, जो राजस्व के लगातार रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा कोषागार के अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा राशि का सत्यापन नहीं किये जाने के साथ–साथ बिक्री अधिसूचना के शर्त का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ के सरकारी राजस्व का गबन 24 अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा किया गया। उत्पाद विभाग तंत्र में अपक्रिया के क्षेत्रों की जाँच सुनिश्चित नहीं किया तथा उचित सुधारात्मक कदम नहीं उठा सका, जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अनुपालन नहीं करना दर्शाता था।

3.6 उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

बिहार उत्पाद अधिनियम, के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जमानत राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा तथा

---

7 श्री दीपक कुमार भगतः समूह सं0 13 (2009–10) एवं श्री श्रवण कुमार चौधरीः समूह सं0 4 (2010–11)।

8 श्री दीपक कुमार भगतः समूह सं0 13 (2009–10): ₹ 1,65,000 चलाना संख्या 55 दिनांक 18.03.2013 द्वारा।

अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में समतुल्य राशि बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 के साथ पठित, उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

हमने छः जिला उत्पाद कार्यालयों[9] की बंदोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की जाँच की तथा अवलोकन किया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 31 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण दिसम्बर 2010 एवं अगस्त 2013 के बीच की अवधि में निरस्त किये गये थे। पुनः, हमने पाया कि दुकानें एक से पाँच माह के विलम्ब से निरस्त की गई थी, जबकि इसे चूक के माह के 20 तारीख के बाद निरस्त किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, दुकानों के निरस्तरीकरण में विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 1.83 करोड़ की राशि अवसूलित रह गई। उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1.83 करोड़ की वसूली हेतु कार्रवाई करने/प्रारंभ करने संबंधी कोई अभिलेख नहीं पाए गए/उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसे इंगित किए जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा दावों को स्वीकार किया तथा कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.7 जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

कंडिका 3.6 के वर्णित नियम 15 के साथ पठित नियम 17 (2) के अनुसार महिने के 20 तारीख तक अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विफल रहने की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

चार जिला उत्पाद कार्यालयों[10] की बंदोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी एवं दिसम्बर 2013 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 16 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण, मार्च 2011 एवं जुलाई 2013 के बीच की अवधि में निरस्त किये गये थे। पुनः, हमने पाया कि बकाये का समायोजन उनके जमा जमानत राशि से की गई थी। बकाये राशि के विरूद्ध ₹ 1.14 करोड़ की जमानत राशि का समायोजन उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जो उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जब्त करना उपबंधित करता है। यह ₹ 1.14 करोड़ के राजस्व की कम वसूली का कारण बना तथा इससे अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित सहायता मिली।

इसे इंगित किये जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) में सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।

3.8 अनुज्ञा शुल्क के विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 प्रावधित करता है कि अनुज्ञा शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में

9 बाँका, बेगुसराय, बक्सर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), नवादा एवं पटना।

10 भागलपुर, मुंगेर, पटना एवं रोहतास (सासाराम)।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दुकान अगले आवेदक को बन्दोबस्त कर दी जाएगी।

बिहार उत्पाद अधिनियम, की धारा 42 (ख) प्रावधित करता है कि यदि धारक द्वारा भुगतेय किसी शुल्क या फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति निरस्त, निलंबित अथवा अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

पुनः, उपरोक्त अधिनियम की धारा 68 उपबंधित करता है कि यदि किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति, परमिट या पास धारा 42 के शर्त (ए), (बी), (डी), (ई), (एफ), (जी) तथा (एच) के अन्तर्गत आर्थिक अपराध के कारण निरस्त, निलंबित या दण्ड आरोपित होने योग्य है तो इस निरस्तीकरण, निलंबन या ऐसे अपराध के लिए कम्पोजीसन के रूप में, जो भी मामला हो, उत्पाद अधिकारी न्यूनतम एक हजार तथा अधिकतम एक लाख रुपये की राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

चार जिला उत्पाद कार्यालयों[11] की माँग, संग्रहण तथा शेष पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने जून 2013 एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि शराब दुकानों के 97 अनुज्ञाधारियों ने जून 2012 एवं नवम्बर 2013 की अवधि के बीच ₹ 9.04 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क चार से 60 दिनों के विलंब के उपरांत जमा किया था। हालाँकि, बिक्री अधिसूचना की शर्त के अनुसार उन्हें अपना मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह के अधिकतम 20 तारीख तक जमा करना था। लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त/निलंबित किया और न ही चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया। बल्कि उन्होंने अर्थदण्ड के रूप में राशि वसूल किये बिना अनुज्ञा शुल्क की राशि स्वीकार कर ली। वस्तुतः, अन्य अनुज्ञप्तिधाारियों को राजस्व के भुगतान में चूक में प्रोत्साहन से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिकारक के रूप में कम से कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

इसे इंगित किए जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2014) तथा कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

[11] बक्सर, कैमूर (भभुआ), नालन्दा एवं नवादा।